(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	612/2016 लाडूराम / विशन्त 1	
30/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नही जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 15/12/2017 को पेश हो।	
15/12/17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि आराजी ख. नं. 725 रकबा 2 बिस्वा, 726 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा व ख. नं. 726/1213 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम जालीपुरा स्थित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी/अपीलार्थीगण अपने बुजुर्ग मंगला व रामू के समय से काबिज काश्त है किन्तु वर्तमान मे आराजी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई जबकी पर्चा सेटलमेन्ट जारी होने से पूर्व जागीर के समय मे ही अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा किन्तु राजस्व कर्मचारीयो की गलती से उक्त भूमि का पर्चा अप्रार्थीगण के बुजुर्ग श्रीनारायण, रामबहादुर के नाम जारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लाडूराम / विक्रान्त 612/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो गया। प्रार्थी के पिता मंगला जो कई बार अप्रार्थी के पिता को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु कहते रहे किन्तु बार-बार आश्वासन के पश्चात भी उनके द्वारा रिकार्ड दुरूस्त नही कराया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी एवं अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्टस के बुजुर्गो के इन्तकाल के पश्चात अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्टस ने रिकार्ड दुरूस्ती से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, जिससे वादी/अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा। चूंकी अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्टस प्रश्नगत आराजी को मुन्तकील करने के लिये आमदा थे, इसलिये वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही कि अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की फसलो के उपभोग - उपयोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न ही उन्हे बेदखल करने की कार्यवाही करे एवं न ही प्रश्नगत आराजी को रहन बय मुन्तकील नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी ने नकल गिरदावरीया प्रस्तुत की जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त बखूबी साबित था जिसको नजरअन्दाज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जबकी प्रार्थी/अपीलार्थी को	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	612/2016 लादूराम / विरुद्ध ... 3	

पर बखूबी साबित था। अन्त में इस्तदुआ की कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रश्नगत आराजी पर अपीलार्थी/अपीलान्टस के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने बहस के प्रारम्भ में उल्लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेन्टस प्रश्नगत आराजी के खातेदार है जो राजस्व रिकार्ड से भी बखूबी साबित है जिससे एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा हमारा ध्यान एक विक्रय-पत्र दिनांक 21/4/2015 की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी में रेस्पोडेन्टस सं.1 नियाबुलाल का जो 1/4 हिस्सा निहित है का बेचान किया गया है जो लादूराम, श्योजी व श्रीनारायण पुत्रान मंगला, जगन्नाथ पुत्र सुवालाल के द्वारा क्रय की गई है एवं विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विक्रेता द्वारा बेची गई भूमि का कब्जा मौके पर भौतिक एवं वास्तविक रूप से क्रेतागण को सम्भला दिया गया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	612/2016 लादूराम / विक्रान्त हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है एवं रेस्पोन्डेन्टस से अपीलान्टस प्रश्नगत आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण सिद्ध न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। अपील भी खारिज फरमाई जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। यह अपीलार्थी द्वारा स्वीकार तथ्य है कि वर्तमान में प्रश्नगत आराजी के रेस्पोन्डेन्टस रिकोर्डड खातेदार है। प्रकरण में प्रस्तुत बेचान पत्र दिनांक 21/4/2015 से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्नगत आराजी पर भौतिक कब्जा अपीलान्टस का नहीं रहा है। चूंकी वे प्रश्नगत आराजी के 1/4 हिस्से का क्रय रेस्पोन्डेन्ट सं.7 से कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर रहे है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलान्टस के पक्ष में नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सही खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/1/2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 15/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	